<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>
<u>जिलाः– सुपौल।</u>

उपस्थितिः– अनंत सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

<u>निर्णय की तिथिः– 20 अप्रैल, 2026</u>

<u>सत्र वाद संख्या–277 / 2021</u>
सी0आई0एस0 संख्या–277 / 2021

➢ प्राथमिकी सुपौल थाना कांड संख्या–387 / 2015, दिनांक 05.09.2015

सूचक	राज्य की ओर सेः– जय कृष्ण यादव	
राज्य की ओर से	श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक	
अभियुक्त	**1.**	नीरज कुमार, उम्र 27 वर्ष, पे0 कपिलदेव यादव.....**ए–1**
	2.	सुनिल कुमार, उम्र 32 वर्ष, पे0 चन्देश्वरी यादव.....**ए–2**
	3.	अखिलेश यादव, उम्र 35 वर्ष, पे0 महेन्द्र यादव.....**ए–3**
	4.	कपिलदेव यादव, उम्र 53 वर्ष, पे0 स्व0 झड़ीलाल यादव **ए–4**
	5.	विभूति यादव, उम्र 40 वर्ष, पे0 महेश्वरी यादव.....**ए–5**
	6.	महेश्वरी यादव, उम्र 60 वर्ष, पे0 स्व0 झड़ीलाल यादव **ए–6**
		ए–1 से ए–6 तक सभी का साकिन गौरवगढ़, थाना– सुपौल जिला सुपौल
बचाव पक्ष की ओर से	श्री कल्याण प्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ता	

FORM-B	
➢ घटना की तिथि	02.09.2015
➢ प्राथमिकी की तिथि	05.09.2015
➢ आरोप पत्र की तिथि	12.10.2015
➢ आरोप गठन की तिथि	13.05.2022
➢ साक्ष्य बंद होने की तिथि	13.04.2026
➢ निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	17.04.2026
➢ निर्णय की तिथि	20.04.2026
➢ Date of the Sentencing Order, if any	Not Applicable

अभियुक्त का विवरण							
अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत की तिथि	धारा में आरोप गठन	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detection Undergone during Trial for Purpose of Section 428 Cr.P.C
ए–1	नीरज कुमार	.....	05.10.15	147, 148, 323, 324, 308/149, 504 भा0द0वि0	Acquitted	N/A	N/A
ए–2	सुनिल कुमार	.....	06.10.15				
ए–3	अखिलेश यादव	.....	05.10.15				
ए–4	कपिलदेव यादव	.....	06.10.15				
ए–5	विभूति यादव	.....	05.10.15				
ए–6	महेश्वरी यादव	.....	06.10.15				

::निर्णय::

1. प्रस्तुत वाद के अभियुक्त आवेदकगण नीरज कुमार, सुनिल कुमार, अखिलेश यादव, कपिलदेव यादव, विभूति यादव, महेश्वरी यादव, पप्पू यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 147, 148, 323, 324, 308/149, 504 के अंतर्गत आरोप का विचारण किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद सूचक जयकृष्ण यादव के लिखित आवेदन पर आधारित है। अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है, कि दिनांक 02/09/2015 समय करीब 7 बजे संध्या को बच्चा को लेकर कहा सुनी हुआ था, उसी को लेकर अभियुक्त आवेदकगण एकजुट होकर हरवे हथियार से लैश होकर सूचक के ऑगन में आकर मारपीट एवं गाली गलौज लूटपाट करने लगा तथा मारपीट के क्रम में उसके भाई राजेन्द्र यादव के सर पर जान मारने की नियत से फरसा से मार कर सर को काट दिया एवं उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया एवं उसके पिताजी सुखदेव यादव को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया एवं सभी आदमी घर में रखे बक्सा जिसमें लगभग 25000 रूपये का गहना एवं कपड़ा कीमत लगभग 5000/– रूपया का समान लूटपाट कर भाग गया तथा जाते समय धमकी दिया कि घर में आग लगाकर सभी को जला देगें।

3. सूचक के उपरोक्त कथन के आधार पर सुपौल थाना कांड संख्या–387/2015 दिनांक 05/09/2015 संस्थित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व आरोप पत्र सं0–725/2015 समर्पित किया गया। विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 323, 324, 308/149, 504 के अंतर्गत दिनांक 27/04/2016 को अपराध का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विद्वान निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 30/09/2021 द्वारा वाद का दौरा सुपुर्द किया गया तथा अभिलेख दिनांक 18/10/2021 को प्राप्त हुआ। अंत में अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त आवेदकगण नीरज कुमार, सुनिल कुमार, अखिलेश यादव, कपिलदेव यादव, विभूति यादव, महेश्वरी यादव, पप्पू यादव के विरुद्ध दिनांक 13/05/2022 को भा0दं0वि0 की धारा 147, 148, 323, 324, 308/149, 504 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

5. प्रस्तुत वाद के एक अभियुक्त पप्पू यादव की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 28/05/2025 के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई स्थगित की गई है तथा शेष 06 अभियुक्तों के विरूद्व वाद विचारण किया गया।

6. उक्त अभियुक्तों का बयान दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 17/04/2026 को दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध साक्ष्य से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया।

7. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन विचारण का सामने कर रहे उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे इस प्रकार साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं जिससे कि उन्हें इस वाद में दोषी साबित किया जा सके ?

मंतव्य

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचक तथा जख्मी सहित कुल 2 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1.	जय कृष्ण यादव (सूचक)	P.W.-1
2.	राजेन्द्र यादव	P.W.-2

9. इस वाद में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श– 01 के रूप में चिन्हित कराया गया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से इस वाद में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि इस वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षियों ने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त घटना में अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन किया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी ठोस विधिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत सूचिका एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से प्रतीत होगा कि अभियोजन अभियुक्तं के विरूद्ध अपना मामला को साबित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त वाद में दोषी करार करने की प्रार्थना की गयी।

13. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्त्ता सहित कुल 02 साक्षियों को प्रस्तुत कराया गया है, जिसमें **अभियोजन साक्षी सं0–01. जय कृष्ण यादव** जो प्रस्तुत वाद के सूचक है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि प्रस्तुत मुकदमा उसने 08 आदमी पर किया था, उसे घटना की तारीख याद नहीं है। करीब 8–10 वर्ष पूर्व 6–7 बजे संध्या समय की घटन है। मुदालह लोग मारपीट किया था, मारपीट में उसका भाई राजेन्द्र यादव को सर में लाठी का चोट लगा था, पिताजी को भे चोट लगा था तथा उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट हुआ था। लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श– 01 के रूप में चिन्हित किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वे और मुदालहगण एक ही परिवार के है। बच्चा बच्चा के बीच झगड़ा को लेकर धक्का मुक्की हुआ था, अंधेरी रात होने के कारण वे किसी को पहचान नहीं सका था। कौन मुदालह किसको मारा वह नहीं देखा था। मुदालह पड़ोसी है। इसलिए पहचानते है।

अभियोजन साक्षी सं0–02. राजेन्द्र यादव है, जो सूचक के भाई तथा वाद के जख्मी है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है, कि घटना 10–15 वर्ष पूर्व, 07 बजे संध्या समय की है। उसके भाई जगदीश यादव के लड़का संजीव यादव भैस लेकर खेत से घर आया था, तो उसे महेश्वरी यादव, कमलेश्वरी यादव, कपिलदेव यादव एवं उसके परिवार के अन्य लोगों से विवाद हो गया, विवाद में मारपीट हो गया था, उस

मारपीट में उसे सर पर चोट लगा था तथा उसके बाद उसका ईलाज दरभंगा में हुआ था। सभी मुदालह को पहचानने का दावा किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदालह लोग दियाद है, बच्चा बच्चा के बीच में झगड़ा हुआ था, उसे कौन मारा था वह नहीं देख पाया था। घ ाटना के समय काफी भीड़ हो गया थी, इसलिए नहीं देख सका कि उस भीड़ में उसे किसके द्वारा मारपीट किया गया। सूचक उसका सहोदर भाई है। सारे विवादो में पंचायत के माध्यम से सुलह हो गया है। मुदालह लोगों से मेल व सुलह हो गया है।

14. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के तथ्यपरक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से सूचक एवं जख्मी सहित कुल 02 साक्षियों को परीक्षित कराया गया, लेकिन उसके बयान से अभियोजन की घटना सिद्व नहीं होती है, क्योंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में ना तो चिकित्सक ना ही अनुसंधानकर्त्ता और ना ही किसी अन्य स्वतंत्र साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अभियोजन की ओर से जिन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, उसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. जयकृष्ण यादव जो प्रस्तुत वाद के सूचक है तथा अभियोजन साक्षी सं0– 02. राजेन्द्र यादव, वाद के जख्मी है। अभियोजन साक्षी सं0–01. जय कृष्ण यादव है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में घटना एवं प्राथमिकी का आंशिक समर्थन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वे तथाा मुदालहगण एक ही परिवार के है। बच्चा बच्चा के बीच झगड़ा हुआ और उसी में धक्का मुक्की भी हुआ था, अंधेरी रात होने के कारण वे किसी को किसी मुदालह का पहचान नहीं किया था तथा किसी मुदालहों के द्वारा किसको मारपीट किया गया था नहीं देखा था। इसी तरह अभियोजन साक्षी सं0–02. राजेन्द्र यादव है, इन्होंने भी अपने मुख्य परीक्षण में घटना का आंशिक समर्थन करते हुये अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है, कि मुदालह लोग दियाद है, बच्चा के बीच झगड़ा हुआ था, उसके साथ किसके द्वारा मारपीट किया गया था वह नहीं देख पाया था, क्योंकि घटना के समय काफी भीड़ हो गयी थी, इसलिए नहीं देख सका था कि उस भीड़ में उसे किसके द्वारा मारपीट किया गया था तथा मुदालहों से पंचायत के माध्यम से सारे विवादों में सुलह हो गया है और मुदालह लोगों से मेल व सुलह हो गया है। इस तरह अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में विफल रहा है, क्योंकि प्रस्तुत वाद के सूचक एवं जख्मी ने घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है, जबकि सूचक एवं जख्मी ने अपने प्रतिपरीक्षण में दिये गये बयान में कहा है, यह नहीं बताया है कि उसके साथ किस मुदालहों के द्वारा मारपीट किया गया था, बल्कि अभियोजन साक्षी सं0–2. राजेन्द्र यादव सह जख्मी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुदालहों से मेल व सुलह होने की बात बताया है।

15. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वाद में विचारण का सामना कर रहें उक्त अभियुक्तों के विरूद्व सूचक एवं उसके परिवार साथ हुई घटना में शामिल होने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसे अभियोजन की घटना साबित हो सके। अतः इस न्यायालय के मतानुसार अभियोजन इस वाद के अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को सभी युक्ति–युक्त रूप से संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। परिणामस्वरूप :–

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त आवेदकगण नीरज कुमार, सुनिल कुमार, अखिलेश यादव, कपिलदेव यादव, विभूति यादव, महेश्वरी यादव, को भा0द0वि0 की धारा– 147, 148, 323, 324, 308/149, 504 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को बंधपत्र के समस्त उत्तरदायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर आज यथा दिनांक 20/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–20.04.2026

लेखापित

sd/-
(अनंत सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सुपौल
दिनांकः–20.04.2026